पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 जुलाई, 2017 ई0 (श्रावण 07, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–30

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	571–574	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	383–398	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	45–46	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	117–121	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा)

अधिसूचना

04 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 498/XXIV(6)/2017–03(60)/2016 T.C.–श्री राज्यपाल महोदय, भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 39, वर्ष 2016) की धारा–1 की उपधारा–2 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने की एतद्द्वारा दिनांक जुलाई, 2017 की तारीख नियत करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

वित्त अनुभाग–9

28 जून, 2017 ई0

संख्या 121/2017/XXVII(9)/मनो0कर–24/2010–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (यथा उत्तराखण्ड में लागू एवं समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चलचित्र (संशोधन) नियमावली, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. नियम 44 का संशोधन–

उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 (यथा उत्तराखण्ड में लागू तथा समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 44 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 *वर्तमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*
44. अधिनियम की धारा 10 के अधीन विशिष्ट नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान करते समय उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 13(2)(कक) के अधीन देय संविरचना प्रभार निम्नानुसार होंगे, जो कि ऐसी शर्तों और निर्बन्धानों के अधीन होंगे, जैसी अधिरोपित की जाए।	44. अधिनियम की धारा 10 के अधीन विशिष्ट नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान करते समय उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (यथा उत्तराखण्ड में प्रभावी) की धारा 13(2)(कक) एवं उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 13(2)(कक) के अधीन देय संविरचना प्रभार निम्नानुसार होंगे, जो कि ऐसी शर्तों और निर्बन्धानों के अधीन होंगे, जैसी अधिरोपित की जाए।

स्तम्भ–1 *वर्तमान नियम*			स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*		
छूट तभी प्रवृत्त होगी जब कि संविरचना प्रभार सरकार के खजाने में जमा कर दिया हो और शर्तों और निर्बन्धानों को पूरा कर दिया गया हो।			छूट तभी प्रवृत्त होगी जब कि संविरचना प्रभार सरकार के खजाने में जमा कर दिया हो और शर्तों और निर्बन्धानों को पूरा कर दिया गया हो।		
संविरचना प्रभार			संविरचना प्रभार		
क्र0 सं0	नियमों से छूट	संविरचना प्रभार	क्र0 सं0	नियमों से छूट	संविरचना प्रभार
1.	नियम 3 (3)	₹ 50,000.00	1.	नियम 3 (3)	₹ 5,00,000.00
2.	नियम 8 (2)	₹ 35,000.00	2.	नियम 8 (2)	₹ 3,50,000.00
3.	नियम 8 (3)	₹ 40,000.00	3.	नियम 8 (3)	₹ 4,00,000.00
4.	नियम 18	₹ 15,000.00	4.	नियम 18	₹ 1,50,000.00

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 121/2017/XXVII(9)/Mano. Kar-24/2010,** dated June 28, 2017 for general information.

NOTIFICATION

June 28, 2017

No. 121/2017/XXVII(9)/Mano. Kar-24/2010--In exercise of the powers conferred by section 13 of the Uttar Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1955 (as applicable of Uttarakhand State and as amended from time to time) the Governor is pleased to make the follwoing Rules with view to further amend the Uttar Pradesh Cinemas Rules, 1951 (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of State of Uttarakhand :

The Uttarakhand Cinemas (Amendment) rules, 2017

1. Short title and commencement :

(1) These Rules may be called the Uttarakhand Cinemas (amendment) Rules, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of Rule 44 :

2. In the Uttar Pradesh Cinemas, Rules, 1951 (As applicable of Uttarakhand State and as amended from time to time) in Rule 44 of the existing rule set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted namely :

Column-1 *Existing Rule*	Column-2 *Substituted Rule*
44. The admissible compounding fee under section 13(2)(aa) of the Uttar Pradesh Cinematography (Regulation) Act, 1955 at the time of concession of the provisions of special rules under section 10 of the Act shall be imposed as such as under the terms and conditions, as follows : The rebate shall applicable in the terms of completion of the terms and conditions and the compounding amount has deposited in the Government Treasury.	44. The admissible compounding fee under section 13(2)(aa) of the Uttar Pradesh Cinematography (Regulation) Act, 1955 and section 13(2)(aa) of the Uttarakhand Cinemas (Amendment) Act, 2016, at the time of concession of the provisions of special rules under section 10 of the Act shall be imposed as such as under the terms and conditions, as follows : The rebate shall applicable in the terms of completion of the terms and conditions and the compounding amount has deposited in the Government Treasury.

Sl. No.	Concession of rules	Compounding fee	Sl. No.	Concession of rules	Compounding fee
1.	rule 3(3)	₹ 50,000.00	1.	rule 3(3)	₹ 5,00,000.00
2.	rule 8(2)	₹ 35,000.00	2.	rule 8(2)	₹ 3,50,000.00
3.	rule 8(3)	₹ 40,000.00	3.	rule 8(3)	₹ 40,000.00
4.	rule 18	₹ 15,000.00	4.	rule 8(3)	₹ 1,50,000.00

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/377–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 जुलाई, 2017 ई0 (श्रावण 07, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

06 फरवरी, 2017 ई0

[उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सम्बन्धित मामले) विनियम, 2017]

सं0 F-9 (26) RG/UERC/2017/1685–विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के अधीन प्रदत शक्तियों और इस निमित सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है। यथा:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सम्बन्धित मामले) विनियम, 2017 होगा।

(2) ये विनियम 01.04.2018 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन:

इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(a) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(b) "स्पष्ट त्रुटि" से प्रत्येक 15 मिनट समय खण्ड हेतु निम्नलिखित फॉर्मूले का उपयोग करते हुए परिकलित अनुसूची उत्पादन तथा 'उपलब्ध क्षमता' (AvC) के संदर्भ में पवन या सौर उत्पादकों के वास्तविक उत्पादन में त्रुटि की स्पष्ट मात्रा अभिप्रेत होगी;

त्रुटि (%)=100x[वास्तविक उत्पादन –अनुसूचित उत्पादन]/(AvC);

(c) एक समय खण्ड में "वास्तविक निकासी" से इन्टरफेस मीटर्स द्वारा मापी गई यथा स्थिति, क्रेता द्वारा निकासित विद्युत अभिप्रेत है;

(d) एक समय खण्ड में "वास्तविक इन्जेक्शन" से इन्टरफेस मापक द्वारा मापी गई यथास्थिति, उत्पादित अथवा विक्रेता द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत अभिप्रेत है;

(e) पवन अथवा सौर उत्पादकों के लिये उपलब्ध क्षमता (AvC) से ऐसे पवन टर्बाईन्स या सौर इन्वर्टर्स की सकल क्षमता रेटिंग अभिप्रेत है जो कि दिये गये समय खण्ड में ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम हो;

(f) "लाभार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उत्पादक स्टेशन से विद्युत क्रय कर रहा है;

(g) "क्रेता" से लाभार्थी सहित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन और दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु लागू विनियमों के अनुसार एक संव्यवहार अनुसूची के माध्यम से विद्युत क्रय कर रहा है;

(h) "केन्द्रीय आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उप–धारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(i) "आयोग" से अधिनियम की धारा 82 की उप–धारा (1) में संदर्भित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(j) एक विक्रेता हेतु समय खण्ड में "विचलन" से इसका कुल इन्जेक्शन ऋण (–) इसका कुल उत्पादन और एक क्रेता हेतु इसकी कुल वास्तविक निकासी ऋण (–) इसकी कुल अनुसूचित निकासी अभिप्रेत है;

(k) इन विनियमों के संबंध में "गेमिंग" से विचलनों हेतु प्रभार के माध्यम से एक अनुचित वाणिज्यिक लाभ कमाने के लिये किसी क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा घोषित क्षमता की जान बूझ कर मिथ्या घोषणा अभिप्रेत होगी;

(l) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (1) के खण्ड (h) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है;

(m) "इन्टरफेस मीटर्स" से समय–समय पर संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 द्वारा परिभाषित रूप में इन्टरफेस मीटर्स अभिप्रेत है;

(n) "राज्यान्तर्गत विचलन प्रभार से इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट विचलन हेतु प्रभार" अभिप्रेत होंगे;

(o) "उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक" से ऐसा ग्राहक, व्यापारी, वितरण अनुज्ञापी या उत्पादक कंपनी अभिप्रेत है जिसे उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 और समय–समय पर इसके संशोधनों के अधीन उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किया गया;

(p) "उन्मुक्त अभिगमन विनियम" से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 और समय–समय पर इसके संशोधन अभिप्रेत हैं;

(q) किसी समय पर या किसी समय खण्ड के लिये या किसी अवधि हेतु "अनुसूचित उत्पादन" से राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रदान MW या MWh एक्स बस में 'उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत है;

(r) किसी समय पर या समय खण्ड या किसी समय अवधि के लिये "अनुसूचित निकासी" से राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रदान MW या MWh एक्स बस के प्रेषण की अनुसूची अभिप्रेत है;

(s) "विक्रेता" से उत्पादक स्टेशन सहित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन और दीर्घावधि अभिगमन हेतु लागू विनियमों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति कर रहा है;

(t) "राज्य भार प्रेषण केन्द्र" से अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है;

(u) "समय खण्ड" से 15 मिनट का ऐसा समय खण्ड अभिप्रेत है जिसके लिये विनिर्दिष्ट विद्युत मानदंडों और मात्राओं को 00.00 बजे से प्रथम समय खण्ड आरम्भ कर विशेष ऊर्जा मीटर द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है;

वे शब्द और अभिव्यक्तियां जिन का यहां उपयोग किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम या आयोग द्वारा जारी अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में या आयोग द्वारा जारी ऐसे विनियमों में क्रमशः नियत किया गया है।

3. उद्देश्यः

इन विनियमों का उद्देश्य है ग्रिड के उपयोग कर्ताओं द्वारा विद्युत की निकासी और इन्जेक्शन के माध्यम से विचलन व्यवस्थापन हेतु वाणिज्यिक तंत्र द्वारा, समय–समय पर संशोधित सीईआरसी (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 और यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 के अधीन नियत किये ग्रिड अनुशासन और सुरक्षा को अनुरक्षित रखना।

4. परिधिः

(1) ये विनियम क्रेता और विक्रेता, अर्थात राज्य वितरण अनुज्ञापी (यों), राज्यान्तर्गत उत्पादक स्टेशनों और राज्य ग्रिड से जुड़े उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों (RE उत्पादकों को छोड़ कर) पर लागू होंगेः

[**स्पष्टीकरणः** 'राज्य ग्रिड' से राज्य पारेषण कंपनी/पारेषण अनुज्ञापी के स्वामित्व वाली राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली/नेटवर्क, और/या राज्य के भीतर वितरण अनुज्ञापी (यों) के स्वामित्व वाली उच्च वोल्टेज प्रणाली/नेटवर्क अभिप्रेत है।]

परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्रोतों यथा SHPS पवन, सौर, बायोमास, सह–उत्पादन, बायोगैस इत्यादि जो राज्य ग्रिड से जुड़े हैं और राज्य के भीतर या बाहर ऊर्जा विक्रय कर रहे हैं को उस समय तक इन विनियमों से तब तक अपवर्जित रहेंगे जब तक कि आयोग उन्हें विचलन व्यवस्थापन तंत्र (DSM) की परिधि के अधीन लाने का निर्णय नहीं लेता। तथापि, राज्य ग्रिड के 11kV और उससे ऊपर पर जुड़े सभी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन स्रोत SLDC के पास अपनी अनुसूची जमा करेंगे ताकि वह प्रेषण अनुसूची तैयार कर सके।

(2) उत्पादन स्टेशन्स जिस में राज्यान्तर्गत पारेषण से सीधे जुड़े नवीकरणीय उत्पादन स्रोत जो राज्य के बाहर ऊर्जा की आपूर्ति कर रहे हैं, सम्मिलित है समय–समय पर संशोधित सीईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 द्वारा शासित होंगे।

5. विचलन हेतु प्रभारः

सभी समय–खण्डों के लिये विचलन हेतु प्रभार क्रेता द्वारा अतिनिकासी के लिये और विक्रेता द्वारा कम इन्जेक्शन हेतु देय होंगे तथा क्रेता द्वारा कम निकासी और विक्रेता द्वारा अति इन्जेक्शन हेतु प्राप्तियां, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर एक समय–खण्ड की औसत फ्रीक्वेंसी के आधार पर ज्ञात की जायेगीः

सारणी–1 विचलन हेतु फ्रीक्वेंसी आधारित प्रभार

समय खण्ड की औसत फ्रीक्वेन्सी (Hz)		विचलन हेतु प्रभार
से कम	तक	पैसे/kWh
	50.05 एवं अधिक	0.00
1	2	3
50.05	50.04	35.60
50.04	50.03	71.20
50.03	50.02	106.80
50.02	50.01	142.40
50.01	50.00	178.00
50.00	49.99	198.84
49.99	49.98	219.68
49.98	49.97	240.52
49.97	49.96	261.36
49.96	49.95	282.20

1	2	3
49.95	49.94	303.04
49.94	49.93	323.88
49.93	49.92	344.72
49.92	49.91	365.56
49.91	49.90	386.40
49.90	49.89	407.24
49.89	49.88	428.08
49.88	49.87	448.92
49.87	49.86	469.76
49.86	49.85	490.60
49.85	49.84	511.44
49.84	49.83	532.28
49.83	49.82	553.12
49.82	49.81	573.96
49.81	49.80	594.80
49.80	49.79	615.64
49.79	49.78	636.48
49.78	49.77	657.32
49.77	49.76	678.16
49.76	49.75	699.00
49.75	49.74	719.84
49.74	49.73	740.68
49.73	49.72	761.52
49.72	49.71	782.36
49.71	49.70	803.20
49.70		824.04

(प्रत्येक 0.01 Hz स्टैप हेतु विचलन के लिये प्रभार 50.05–50.00 Hz की फ्रीक्वेंसी सीमा में 35.60 पैसे/ kWh और 50 Hz से निम्न किन्तु 49.70 Hz तक फ्रीक्वेंसी सीमा में 20.84 पैसे/ kWh के बराबर है)

परन्तुः

(i) अनुसूची के 10% से अधिक में एक समय खण्ड में क्रेता द्वारा कम निकासी हेतु विचलन के लिये प्रभारों के विरूद्ध प्राप्तियां शून्य होंगी।

(ii) अनुसूची के 10% से अधिक में एक समय खण्ड विक्रेता द्वारा अति इन्जेक्शन हेतु विचलन के लिये प्रभारों के विरूद्ध प्राप्तियां शून्य होंगी, सिवाय अशक्त ऊर्जा के मामले में जो कि इस विनियम के उप–विनियम (3) द्वारा शासित होगी।

(2) विचलन हेतु प्रभारों की समय–समय पर आयोग द्वारा समीक्षा की जायेगी।

(3) यूनिट के COD से पहले परीक्षण के दौरान एक उत्पादक स्टेशन की उत्पादक यूनिट द्वारा ग्रिड में इन्जेक्ट की गई अशक्त ऊर्जा का भुगतान, ऐसे इन्जेक्शन हेतु उपयोग में लाये गये मुख्य ईंधन को तदनुरूप कैप दरों की सीमा के अधीन, अधिकतम 6 माह अथवा आयोग द्वारा अनुज्ञात विस्तारित समय की अवधि हेतु, परीक्षण के पश्चात् ग्रिड में इन्जेक्ट की गई अशक्त ऊर्जा के लिये विचलन हेतु प्रभारों पर, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार किया जायेगा:

डॉमेस्टिक कोल / लिग्नाईट / हायड्रो	₹ 1.78 / kWh सैंट आउट
आयातित कोयला	₹ 3.03 / kWh सैंट आउट
RLNG	₹ 8.24 / kWh सैंट आउट

(4) ईंधन के रूप में प्रशासित मूल्य तंत्र (APM) के अधीन आपूर्ति किये गये कोयला या लिग्नाईट या गैस का उपयोग करते हुए केन्द्रीय आयोग द्वारा विनियमित उत्पादक स्टेशनों के लिये विचलन व्यवस्थापन तंत्र के संबंध में प्रभार और निबंधन एवं शर्तें सीईआरसी विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों के अनुसार होंगे।

6. गेमिंग की घोषणा, अनुसूचीकरण और निरसनः

(1) गेमिंग की घोषणा, अनुसूचीकरण और निरसन की घोषणा हेतु समय–समय पर संशोधित यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह–उत्पादन स्टेशन से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम 2013 तथा यूईआरसी (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन और शर्तें) अधिनियम, 2015 के उपबंध लागू होंगे।

(2) उत्पादक स्टेशन, यथा संभव, राज्य ग्रिड के अनुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अंतिम रूप दी गई अगले दिन उत्पादन अनुसूची के अनुसार विद्युत उत्पादन करेगा।

परन्तु प्रचालन के दिन पर उत्पादन अनुसूची में पुनरीक्षण, समय–समय पर संशोधित यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(3) आयोग स्वविवेक से या SLDC अथवा किसी प्रभावित पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका पर गेमिंग के आरोप पर किसी राज्य घटक यथा उत्पादक, वितरण अनुज्ञापी, उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही आरम्भ कर सकता है, और यदि आवश्यक हो ऐसे तरीके से जांच का आदेश दे सकता है जैसा आयोग द्वारा तय किये जाये। जब उपरोक्त जांच में गेमिंग का आरोप स्थापित हो जाये तो आयोग, अधिनियम या उसके अधीन विनियमों के अधीन किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी गेमिंग की अवधि के दौरान ऐसे राज्य घटक द्वारा प्राप्त किन्हीं विचलन प्रभारों को अस्वीकृत कर सकता है।

7. विचलन की मात्रा की सीमाएंः

(1) समय खण्ड के दौरान किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अतिनिकासी / कम निकासी, ग्रिड फ्रीक्वेन्सी "49.70 Hz और अधिक " तथा "50.10 Hz से कम" होने पर अपनी अनुसूचित निकासी के 10% से अधिक नहीं होगी।

परन्तु जब ग्रिड फ्रीक्वेन्सी "49.70 Hz से नीचे" है तो किसी क्रेता द्वारा विद्युत की अति निकासी अनुज्ञेय नहीं होगी और जब ग्रिड फ्रीक्वेन्सी " 50.10 Hz से ऊपर" है तो किसी क्रेता द्वारा विद्युत की कम निकासी अनुज्ञेय नही होगी।

(2) एक समय खण्ड के दौरान विक्रेता द्वारा विद्युत की कम निकासी / अति निकासी, 49.70 Hz और इसके ऊपर तथा तथा 50.10 Hz से कम होने की स्थिति में ऐसे विक्रेता के अनुसूचित इन्जेक्शन के 10% से अधिक नहीं होगी।

परन्तु जब ग्रिड फ्रीक्वेन्सी "49.70 Hz से नीचे"है तो विक्रेता द्वारा विद्युत का कम इन्जेक्शन अनुज्ञेय नही होगा और जब ग्रिड फ्रीक्वेन्सी 50.10 Hz और इससे ऊपर" है तो एक विक्रेता द्वारा इसका अति इन्जेक्शन अनुज्ञेय नहीं होगा।

परन्तु परीक्षण एवं कमीशनिंग की गतिविधियों के दौरान एक यूनिट की COD से पहले एक उत्पादक स्टेशन द्वारा ऊर्जा के अशक्त इन्जेक्शन को अधिकतम 6 माह या आयोग द्वारा विस्तारित समयावधि हेतु ऊपर विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमा से छूट प्राप्त होगी।

परन्तु आगे यह कि स्टार्टअप गतिविधियों के लिये एक यूनिट के COD से पहले उत्पादक स्टेशन द्वारा की किसी निकासी को "49.70 Hz और इससे अधिक" ग्रिड फ्रीक्वेन्सी होने की स्थिति में ऊपर विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमा से छूट प्राप्त होगी।

8. विचलन मात्रा की सीमा पार करने पर अतिरिक्त प्रभारः

(1) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन नियत किये गये विचलन हेतु प्रभारों के अतिरिक्त समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी "49.70 Hz और इससे अधिक" होने पर, ऊपर विनियम 7 में विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमा से अधिक पर प्रत्येक समय खण्ड हेतु विद्युत की अतिनिकासी तथा कम इन्जेक्शन हेतु, इस विनियम के उप–विनियम (5) में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार सारणी 4 में दी गई दरों पर अतिरिक्त प्रभार लागू होंगेः–

सारणी–4: विचलन की मात्रा की सीमा से अधिक विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार

1	एक समय खण्ड में किसी क्रेता द्वारा अनुसूची के 10% से अधिक और 15% तक की विद्युत की अतिनिकासी हेतु	समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार में 20% के बराबर
2	एक समय खण्ड में किसी क्रेता द्वारा अनुसूची के 15% से अधिक और 20% तक की विद्युत की अतिनिकासी हेतु	समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार में 40% के बराबर
3	एक समय खण्ड में किसी क्रेता द्वारा अनुसूची के 20% से अधिक की विद्युत की अतिनिकासी हेतु	समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार में 100% के बराबर
4	एक समय खण्ड में किसी विक्रेता द्वारा अनुसूची के 10% से अधिक और 15% तक विद्युत के कम इन्जेक्शन हेतु	समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार में 20% के बराबर
5	एक समय खण्ड में किसी विक्रेता द्वारा अनुसूची के 15% से अधिक और 20% तक विद्युत के कम इन्जेक्शन हेतु	समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार में 40% के बराबर
6	एक समय खण्ड में किसी विक्रेता द्वारा अनुसूची के 20% से अधिक विद्युत के कम इन्जेक्शन हेतु	समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार में 100% के बराबर

परन्तु स्टार्ट–अप गतिविधियों के लिये एक यूनिट से COD से पहले उत्पादक स्टेशन द्वारा ऊर्जा की निकासी को विचलन के अतिरिक्त प्रभारों के आरोपण से छूट प्राप्त होगी।

(2) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन नियत किये गये विचलन प्रभारों के अतिरिक्त ग्रिड फ्रीक्वेंसी "50.10 Hz और अधिक होने की स्थिति में 50.01 से नीचे किन्तु 50.10 Hz से नीचे नहीं" की ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन के प्रभारों के बराबर की दरों पर विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार लागू होंगे।

(3) इस विनियम के उप–विनियम (1) व (2) में कम निकासी/अति इन्जेक्शन के लिये और अतिनिकासी/कम इन्जेक्शन के लिये विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमाएं पार करने हेतु प्रत्येक राज्य घटक के लिये विचलन हेतु प्रभारों और विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों की संगणना के लिये कार्यविधियां इन विनियमों के क्रमशः संलग्नक I और संलग्नक II के अनुसार होगी।

(4) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन नियत किये गये विचलन हेतु प्रभारों के अतिरिक्त ग्रिड फ्रीक्वेन्सी "49.70 Hz से नीचे होने पर विद्युत की अतिनिकासी या कम इन्जेक्शन के लिये विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार इस विनियम के उप–विनियम (6) में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार लागू होंगे और यह "49.70 Hz से नीचे " की ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप 824.04 पैसे/KWh के विचलन हेतु प्रभार के 100% के बराबर होगा।

(5) ग्रिड फ्रीक्वेन्सी " 49.70 Hz और अधिक" होने पर ऊपर विनियम 7 में विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमा से अधिक प्रत्येक समय खण्ड के लिये विद्युत विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार, ग्रिड डिसिप्लिन की ओर क्रेताओं और विक्रेताओं के व्यवहार का उचित ध्यान रखते हुए समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेंसी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभारों के प्रतिशत के रूप में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेंगेः

परन्तु आयोग ऊपर विनियम 7 में विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमा से अधिक होने पर अनुसूची से विभिन्न % विचलन पर निर्भर करते हुए अति निकासियों और के इन्जेक्शन्स के लिये विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों के लिये विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(6) ग्रिड फ्रीक्वेन्सी " 49.70 Hz से कम" पर प्रत्येक समय खण्ड के लिये विद्युत की अतिनिकासियों और प्रभार, ग्रिड डिसिप्लिन की ओर क्रेताओं और विक्रेताओं के व्यवहार का उचित ध्यान रखते हुए समय खण्ड की औसत ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभारों के प्रतिशत के रूप में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेंगेः

परन्तु आयोग अतिनिकासियों और कम इन्जेक्शन्स के लिये तथा "49.70 Hz से नीचे" फ्रीक्वेन्सी की विभिन्न सीमाओं हेतु विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों के लिये विभिन्न देय विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(7) किसी राज्य घटक अर्थात क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा एक दिशा में अनुसूची से सतत विचलन (सकारात्मक या नकारात्मक) विचलन की स्थिति में उन्हें प्रत्येक 12 समय खण्डों के पश्चात कम से कम एक बार अनुसूचित परिवर्तन से उनके विचलन का संकेत करना होगा। यह समझाने के लिये कि क्रेता/विक्रेता का 7.30 बजे से 10.30 बजे तक अनुसूची से सकारात्मक विचलन है, अनुसूची से इसके विचलन का संकेत 13वें समय खण्ड में अर्थात 10.30 बजे से 10.45 बजे तक यथा स्थिति सकारात्मक से नकारात्मक अथवा नकारात्मक से सकारात्मक में परिवर्तित किया जायेगा।

(8) विनियम 5 के अधीन विचलन हेतु प्रभारों और इस विनियम के उप–विनियम (1) व (2) के अधीन विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों के भुगतान, इन विनियमों के उप–विनियम (7) के उपबन्धों के उल्लंघन या प्रत्येक समय–खण्ड हेतु इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अतिनिकासी/कमनिकासी या कम इन्जेक्शन/अति इन्जेक्शन की सीमाओं के उल्लंघन पर विद्युत अधिनियम की धारा 142 के अधीन आयोग द्वारा उपयुक्त समझी गई किसी कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आरोपित किये जायेंगे।

(9) विद्युत के अति निकासी/कम इन्जेक्शन और कम निकासी/अति इंजेक्शन हेतु प्रभारों की संगणना SLDC द्वारा की जायेगी।

(10) SLDC साप्ताहिक रूप से ग्रिड फ्रीक्वेन्सी के " 49.70 Hz और इससे अधिक के समय, सभी समय खण्डों के लिये प्रत्येक क्रेता और विक्रेता हेतु देय/प्राप्तियोग्य विचलन हेतु प्रभारों की तदनुरूप राशि और अति निकासी/कम इन्जेक्शन व अति इन्जेक्शन/कम निकासी की मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए विचलन लेखे में उनके रिकॉर्डस वेब साईट पर प्रकाशित करेंगा।

9. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के अनुदेशों का पालनः

इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी विक्रेता और क्रेता ग्रिड सुरक्षा और ग्रिड डिसिप्लिन के हित में इन्जेक्शन एवं निकासी पर SLDC के अनुदेशों का कठोरता से अनुपालन करेंगे।

10. विचलन हेतु प्रभारों का लेखाकरणः

(1) राज्य ऊर्जा लेखे मासिक आधार पर तैयार किये जायेंगे और विचलन प्रभारों तथा रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों के वितरण SLDC द्वारा प्रदान किये गये डाटा के आधार पर साप्ताहिक रूप SLDC द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा इन्हें पिछले रविवार की मध्य रात्रि पर समाप्त होने वाली सात दिन की अवधि हेतु मंगलवार तक सभी राज्य घटकों को जारी किया जायेगा।

(2) विचलन हेतु प्रभारों के कारण सभी भुगतान जिसमें इन विनियमों के अधीन लेवी लगाये गये विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार व विलंब से भुगतान हेतु ब्याज यदि कोई है, सम्मिलित है, को "राज्य विचलन पूल खाता" नाम की निधि में जमा किया जायेगा जिसका प्रचलन इन विनियमों के उपबंधों के अधीन राज्य प्रेधण केन्द्र द्वारा किया जायेगाः

परन्तुः

(i) आयोग "राज्य विचलन पूल खातों" के प्रचालन हेतु किसी अन्य एन्टिटि को आदेश द्वारा निदेशित कर सकता है।

(iii) विचलन हेतु प्रभारों और विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों के मुख्य घटक और ब्याज घटक हेतु SLDC द्वारा पृथक लेखा बही रखी जायेगी।

(3) "राज्य विचलन पूल खातों" में प्रगत सभी भुगतानों की निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जायेगाः

(i) पहले विचलन हेतु प्रभारों की वसूली पर उपगत कोई लागत या व्यय या अन्य प्रभार के भुगतान,

(ii) अगला अतिशोध्य या शास्तिक ब्याज के भुगतान, यदि लागू हों,

(iii) अगला साधारण ब्याज में भुगतान,

(iv) अंत में विचलन हेतु प्रभारों और विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों के भुगतान,

स्पष्टीकरणः क्रेता/विक्रेता द्वारा लिये गये विचलन हेतु किसी अतिरिक्त प्रभार को "राज्य विचलन पूल खाते" में डाला जायेगा।

11. विचलन हेतु प्रभारों के भुगतान की अनुसूचीः

(1) विचलन हेतु प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता होगी और संबंधित क्रेता/विक्रेता "विचलन हेतु प्रभारों का विवरण जारी होने के 7 (सात साल) दिन के भीतर इंगित राशि जिसमें SLDC द्वारा विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार सम्मिलित है, का भुगतान राज्य विचलन पूल खाते में करेगा।

(2) यदि विचलन हेतु प्रभार, जिसमें विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार भी सम्मिलित है के विरूद्ध भुगतान दो दिन से अधिक अर्थात SLDC द्वारा विवरण जारी किये जाने की तिथि से नौ (9) दिन विलंबित हो जाते हैं तो क्रेता/विक्रेता को 0.04% प्रतिदिन की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।

(3) विचलन हेतु प्रभारों के कारण कोई राशि प्राप्त करने के हकदार क्रेता/विक्रेता को सभी भुगतान "राज्य विचलन पूल खाते" में भुगतान की प्राप्ति के 5 कार्य दिवसों के भीतर किये जायेंगे:

परन्तु

(i) राज्य विचलन पूल खाते में विचलन हेतु प्रभारों और उन पर ब्याज यदि कोई है, में विचलन हेतु प्रभारों का विवरण जारी किये जाने से 9 दिनों से अधिक विलंब होने के मामले में क्रेता/विक्रेता जिन्हें विचलन हेतु भुगतान या उस पर ब्याज का भुगतान प्राप्त करना है को राज्य विचलन पूल खाते में यदि कोई शेष उपलब्ध है में से भुगतान किया जायेगा। यदि उपलब्ध शेष राशि क्रेता/विक्रेता को भुगतान करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य विचलन पूल खाते में से भुगतान निधि में उपलब्ध शेष राशि से आनुपातिक आधार पर किया जायेगा।

(ii) "राज्य विचलन पूल खाते" में भुगतान में विलंब हेतु ब्याज में भुगतान का दायित्व ब्याज का भुगतान होने तक इस तथ्य में होते हुए भी बना रहेगा कि क्रेता/विक्रेता जिन्हें भुगतान प्राप्त करना है, को पूर्णतः या आंशिक रूप से "राज्य विचलन पूल खाते" में से भुगतान किया गया है।

(4) ऐसे सभी क्रेता/विक्रेता जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विचलन हेतु प्रभारों जिसमें विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार भी सम्मिलित हैं, का पिछले वर्ष के दौरान किसी समय भुगतान करने में असफल रहे हैं, उन्हें वर्ष के 14 अप्रैल से पहले SLDC के पक्ष में पिछले वर्ष में विचलन हेतु अपने औसत देय साप्ताहिक दायित्व के 11% के बराबर प्रत्यय पत्र (LC) खोलना होगा।

परन्तु

(i) यदि कोई क्रेता/विक्रेता वर्तमान वर्ष के दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय तक विचलन हेतु प्रभार जिसमें विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार सम्मिलित है, का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे भुगतान की देय तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पक्ष में साप्ताहिक बकाया दायित्व के 11% के बराबर प्रत्यय पत्र (LC) खोलना होगा।

(ii) यदि यह पिछली LC की राशि से 50% से अधिक बढ़ती है तो LC की राशि में वर्ष के दौरान किसी सप्ताह में "विचलन हेतु देय साप्ताहिक दायित्व में 11% की वृद्धि की जायेगी।

उदाहरण: यदि 2016–17 के दौरान क्रेता/विक्रेता के विचलन हेतु औसत देय साप्ताहिक दायित्व रू0 20 करोड़ है तो क्रेता /विक्रेता 2017–18 में रू0 22 करोड़ हेतु LC खोलेगा। यदि 2017–18 में किसी सप्ताह के दौरान साप्ताहिक देय दायित्व रू0 35 करोड़ है जो कि रू0 33 करोड़ की पिछली LC राशि के 50% से अधिक है, तो क्रेता/विक्रेता रू0 16.5 करोड़ जोड़ कर LC राशि को रू0 38.5 करोड़ (1.1x35.0) करेगा।

(5) विचलनों हेतु प्रभारों का विवरण जारी किये जाने की तिथि से 9 दिनों के विनिर्दिष्ट समय के भीतर "राज्य विचलन पूल खाते" मे भुगतान करने में असफल रहने की स्थिति में SLDC चूक की सीमा तक क्रेता/विक्रेता LC को भुगताने का हकदार होगा तथा क्रेता/विक्रेता 3 दिन के भीतर LC की राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

12. विचलनों द्वारा एकत्रित निधि का उपयोजनः

माह के अन्तिम दिन राज्य विचलन पूल खाते में यदि कोई राशि अधिशेष है तो इसे अगले माह के प्रथम सप्ताह में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट "राज्य ऊर्जा प्रणालियां विकास निधि" नाम की पृथक निधि में अंतरित किया जायेगा तथा इसका उपयोग आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिये किया जायेगा।

13. शिथिलीकरण की शक्ति :

आयोग कारण लिखित में अभिलिखित कर, साधारण या विशेष द्वारा तथा उन पक्षों, जिन पर शिथिलीकरण का प्रभाव होना है, को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपने स्वयं के प्रस्ताव से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन पर इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

14. निर्देश जारी करने की शक्ति :

यदि इन नियमों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग अपने स्वयं के प्रस्ताव से किसी प्रभावित पक्ष द्वारा किये गये आवेदन पर ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो इन विनियमों के उद्देश्य और प्रयोजन को अग्रसरित करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

15. आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को परिवर्तित, परिशोधित या संशोधित कर सकता है।

16. कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति :

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग एक सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा अधिनियम को उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध बना सकता है जो कि कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

सलंग्नक–I

क्रेता/विक्रेता द्वारा अतिनिकासी/कम इन्जेक्शन हेतु विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमाओं को पार करने हेतु प्रत्येक क्रेता/विक्रेता के लिये विचलन के प्रभारों और विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों की संगणना हेतु कार्य विधियां

1. ग्रिड फ्रीक्वेंसी 49.7 **Hz** या इस से अधिक होने पर

A. जब MW में एक समय खण्ड में अनुसूची से विचलन (D_{tb}) प्रत्येक समय खण्ड में अनुसूची में (+/-) 10% से कम है तो केता/विकेता द्वारा देय विचलन हेतु सामान्य प्रभारों पर होगा,

B. जब MW में एक समय खण्ड में अनुसूची से विचलन (D_{tb}) प्रत्येक समय खण्ड में अनुसूची में (+/-) 10% से अधिक है

(i) $D_{tb} = D_0 + D_{10}$

जहां

D_0 = अनुसूचित निकासी/इन्जेक्शन का (+/-) 10%

D_{10} = अनुसूचित निकासी/इन्जेक्शन का (+/-) 10% से अधिक विचलन

(ii) $D_{10} = D_{tb} - D_0$

(iii) D_{tb} के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार विचलन के सामान्य प्रभारों पर केता/विकेता द्वारा देय होंगे, इसमें अतिरिक्त D_{tb} के लिये विचलन हेतु ग्रेडेड अतिरिक्त प्रभार, प्रत्येक स्लैब में वृद्धिकारक विचलन हेतु विचलन के प्रभार की यथास्थिति 20%, 40%, 100% दर पर प्रति टर्म के आधार पर मात्रा की सीमा पार करने के लिये अति–निकासी/कम–इन्जेक्शन हेतु केता/विकेता द्वारा देय होंगे।

2. ग्रिड फ्रीक्वेंसी 49.7 **Hz** से कम होने पर

D_{tb} के तदनुरूप अति–निकासी/कम इन्जेक्शन के लिये विचलन हेतु प्रभार केता/विकेता द्वारा 824.04 पैसे/kWh पर देय होंगे। इसके अतिरिक्त D_{tb} के लिये विचलन हेतु अतिरिक्त विचलन प्रभार केता/विकेता द्वारा 824.04 पैसे/kWh पर देय होंगे।

संलग्नकः II

केता/विकेता द्वारा कम निकासी/अति–इन्जेक्शन के लिये विनिर्दिष्ट मात्रा की सीमाएं पार करने हेतु प्रत्येक केता/विकेता के लिये विचलन के प्रभारों और विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभारों की संगणना हेतु कार्यविधियां

A. MW में एक समय खण्ड में अनुसूची से विचलन (D_{tb}) प्रत्येक समय–खण्ड में अनुसूची में (-/+) 10% से कम होने पर केता/विकेता द्वारा (D_{tb}) विचलन हेतु सामान्य प्रभारों पर प्राप्ति योग्य होगा,

B. MW में एक समय खण्ड में अनुसूची से विचलन (D_{tb}) प्रत्येक समय खण्ड में अनुसूची में (-/+) 10% से अधिक होने पर

(i) $D_{tb} = D_0 + D_{10}$

जहां

D_0 = अनुसूचित निकासी/इन्जेक्शन का (-/+) 10% से अधिक विचलन

(ii) $D_{10} = D_{tb} - D_0$

(iii) D_0 के तदनुरूप विचलन हेतु प्रभार केता/विकेता द्वारा विचलन के सामान्य प्रभारों या सीलिंग दर, दोनों में जो कम हो, पर प्राप्ति योग्य होंगे। केता/विकेता D_{10} हेतु किसी प्राप्ति योग्य के हकदार नहीं होंगे।

C. इन विनियमों के विनियम 4 के उप–विनियम (2) के अनुसार ग्रिड फ्रीक्वेंसी 50.10 Hz या इस से अधिक होने पर विचलन हेतु अतिरिक्त प्रभार, कम निकासी अति–इन्जेक्शन के लिये केता/विकेता द्वारा देय होंगे।

अधिसूचना

17 जुलाई , 2017 ई0

सं0 F-9(25)(II)/RG/UERC/2017/637–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 (मुख्य विनियम) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम उविनिआ (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 होगा।

(2) ये विनियम 01.04.2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 48 (1) में संशोधनः

मुख्य विनियम के नियम 49 की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः अर्थात् :–

"कलेंडर मास के लिए थर्मल उत्पादन केन्द्र को संदेय क्षमता प्रभार की संगणना निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार की जायेगी:

CC_1= (AFC/12) (PAF_1 / NAPAF) ; (AFC/12) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC_2= (AFC/6) (PAF_2 / NAPAF) ; ((AFC/6) - CC_1) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC_3= (AFC/4) (PAF_3 / NAPAF) ; ((AFC/4) - (CC_1+CC_2) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC_4= (AFC/3) (PAF_4 / NAPAF) ; ((AFC/3) - (CC_1+CC_2+CC_3) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC_5= (AFC x 5/12) (PAF_5 / NAPAF) ; ((AFC x 5/12) - (CC_1+CC_2+CC_3+CC_4) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC_6= (AFC/2) (PAF_6 / NAPAF) ; ((AFC/2) - (CC_1+CC_2+CC_3+CC_4+CC_5) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC_7= (AFCx7/12) (PAF_7/NAPAF) ; ((AFCx7/12)-(CC_1+CC_2+CC_3+ CC_4+CC_5 +CC_6) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC_8=(AFCx2/3) (PAF_8/NAPAF) ; ((AFCx2/3)-(CC_1+CC_2+CC_3+CC_4+CC_5+ CC_6+CC_7) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC_9=(AFCx3/4) (PAF9/NAPAF) ; ((AFCx3/4))-(CC_1+CC_2+CC_3+ CC_4+CC_5 +CC_6+ CC_7+CC_8) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC_{10}=(AFCx5/6) (PAF10/NAPAF) ; ((AFCx5/6)-(CC_1+CC_2+CC_3+ CC_4+CC_5 +CC_6+ CC_7+CC_8 +CC_9) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC_{11}=(AFCx11/12) (PAF11/NAPAF) ; ((AFCx11/12)-(CC_1+CC_2+CC_3+CC_4 +CC_5 + CC_6+CC_7+ CC_8+CC_9+CC_{10}) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

CC_{12}=(AFC) (PAFY/NAPAF) ; ((AFC)-(CC_1+CC_2+CC_3+CC_4 +CC_5+CC_6+CC_7+ CC_8+CC_9+CC_{10} + CC_{11}) की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन

परन्तु यह कि यथास्थिति उत्पादक केन्द्र या उसकी इकाई या पारेषण प्रणाली या उसके किसी अल्पघटक के मामले में नवीनकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण बन्द होने की स्थिति में उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को एएफसी के एक भाग की वसूली करने की अनुमति होगी जिसमें ओएण्डएम व्यय तथा केवल ऋण पर ब्याज शामिल होगा।

जहाँ,

AFC = वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत। (रूपयों में)

NAPAF = प्रतिशतता में मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक।

PAF_N = किसी मास के अन्त तक प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, (प्रतिशत में)।

PAF_Y = वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता कारक।

CC_1, CC_2, CC_3, CC_4, CC_5, CC_6, CC_7, CC_8, CC_9, CC_{10}, CC_{11} और CC_{12} क्रमशः 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th मास के क्षमता प्रभार है।"

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,
सचिव।

NOTIFICATION

July 17, 2017

No. F-9(25)(II)/RG/UERC/2017/637--In exercise of powers conferred under section 61 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in the UERC (Terms and Conditions for Determination of Multi Year Tariff) Regulations, 2015) (Principal Regulations), and subsequent amendment made in the same, namely:

1. Short Title, Commencement and Interpretation:

(1) These Regulations may be called the UERC (Terms and Conditions for Determination of Multi Year Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2017.

(2) These Regulations shall come into force from 01.04.2017.

2. Amendment of Regulation 49 of the Principal Regulation:

Clause 2 of the Regulation 49 of the Principal Regulations, the following shall be substituted, namely:

"The capacity charge payable to a thermal generating station for a calendar month shall be calculated in accordance with the following formulae:

$CC_1 = (AFC/12)\ (PAF_1/NAPAF)$ *subject to ceiling of* $(AFC/12)$

$CC_2 = (AFC/6)\ (PAF_2/NAPAF)$ *subject to ceiling of* $((AFC/6) - CC_1)$

$CC_3 = (AFC/4)\ (PAF_3/NAPAF)$ *subject to ceiling of* $((AFC/4) - (CC_1+CC_2)$

$CC_4 = (AFC/3)\ (PAF_4/NAPAF)$ *subject to ceiling of* $((AFC/3) - (CC_1+CC_2+CC_3)$

$CC_5 = (AFC\ x\ 5/12)\ (PAF_5/NAPAF)$ *subject to ceiling of* $((AFC\ x\ 5/12) - (CC_1+CC_2+CC_3+CC_4)$

$CC_6 = (AFC/2)\ (PAF_6/NAPAF)$ *subject to ceiling of* $((AFC/2) - (CC_1+CC_2+CC_3+CC_4+CC_5)$

$CC_7 = (AFCx7/12)\ (PAF_7/NAPAF)$ *subject to ceiling of* $((AFCx7/12)-(CC_1+CC_2+CC_3+ CC_4+CC_5+CC_6)$

CC_8=(AFCx2/3) (PAF_8/NAPAF) subject to ceiling of ((AFCx2/3)-(CC_1+CC_2+CC_3+CC_4+CC_5+CC_6+CC_7)

CC_9=(AFCx3/4) (PAF_9/NAPAF) subject to ceiling of ((AFCx3/4))-(CC_1+CC_2+CC_3+ CC_4+CC_5+CC_6+ CC_7+CC_8)

CC_{10}=(AFCx5/6) (PAF_{10}/NAPAF) subject to ceiling of ((AFCx5/6)-(CC_1+CC_2+CC_3+ CC_4+CC_5+CC_6+ CC_7+CC_8+CC_9)

CC_{11}=(AFCx11/12) (PAF_{11}/NAPAF) subject to ceiling of ((AFCx11/12)-(CC_1+CC_2+CC_3+CC_4 +CC_5+CC_6+CC_7+CC_8+CC_9+CC_{10})

CC_{12}=(AFC) (PAF_Y/NAPAF) subject to ceiling of ((AFC)-(CC_1+CC_2+CC_3+CC_4+CC_5+ CC_6+CC_7+CC_8+ CC_9+CC_{10}+CC_{11})

Provided that in case of generating station or unit thereof or transmission system or an element thereof, as the case may be, under shutdown due to Renovation and Modernisation, the generating company or the transmission licensee shall be allowed to recover part of AFC which shall include O&M expenses and interest on loan only.

Where,

AFC = Annual fixed cost specified for the year, in Rupees.

NAPAF = Normative annual plant availability factor in percentage.

PAF_N = *Percent Plant availability factor achieved upto the end of the nth month.*

PAF_Y = *Percent Plant availability factor achieved during the Year.*

CC_1, CC_2, CC_3, CC_4, CC_5, CC_6, CC_7, CC_8, CC_9, CC_{10}, CC_{11} *and* CC_{12} *are the Capacity Charges of 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th months respectively. "*

By the Order of the Commission,

NEERAJ SATI,
Secretary.

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड
(फार्म–अनुभाग)
विज्ञप्ति

18 जुलाई, 2017

पत्रांक 1874/आयुक्त राज्य कर/उत्तरा0/फार्म–अनु0/2017–18/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–16, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री तिरूपति एण्टरप्राइजेज, एम–28, शिवलोक कॉलोनी, हरिद्वार, टिन–05013703894	प्रारुप–XVI (02)	U.K.VAT-M 2012 3628692, 3628693	खोने के कारण

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त, राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय डा0 रघुनंदन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

15 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 814/चार–3/2016/टी0सी0यू0–डा0 रघुनंदन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत् क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी हेतु दिनाँक 28, 29 व 30 जुलाई, 2016 को विभागीय परीक्षाओं का आयोजन किया गया।

विभागीय परीक्षा (क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी), 2016 में सम्मिलित निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में इस विज्ञप्ति के द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:–

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम	तैनाती जनपद	उत्तीर्ण किये गये प्रश्न–पत्र				
Reg.Emp-2016-01	श्री अजय सिंह	देहरादून	क	ख	ग	घ	ङ

विषय संकेत		विषय
क		हिन्दी एवं निबंध।
ख	1.	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–दो–चार।
	2.	मैनुअल ऑफ गवर्मेंट ऑडर्स।
	3.	सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली।
ग		वित्तीय एवं लेखा नियम
घ	1.	सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स, पनिशमेंट एण्ड अपील रूल्स फॉर सबॉर्डिनेट सर्विसेज और उसके अधीन जारी किये गये सरकारी आदेश और सामान्यतया अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के लिए नियम और प्रक्रिया।
	2.	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन–सेवायोजन से संबंधित सिफारिशें और सम्मेलन।
	3.	भारत में सेवायोजन की भूमिका।
	4.	सेवायोजन कार्यालयों का निरीक्षण।
	5.	कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
ङ	1.	नेशनल इम्प्लायमेंट सर्विस मैनुअल।
	2.	नियोजनालय (रिक्तियों को अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम)
	3.	सेवायोजन मार्केट संबंधी सूचना।
	4.	व्यावसायिक मार्गदर्शन और युवक सेवायोजन सेवा।
	5.	उपजीविका का राष्ट्रीय वर्गीकरण और औद्योगिक वर्गीकरण।
	6.	प्रचार और लोक संबंध।
	7.	शिक्षु अधिनियम, 1961।

अवनेन्द्र सिंह नयाल,
निदेशक।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

आदेश

19 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 40/लाइसेंस/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017–श्री शैलेश सिंह पुत्र श्री राम चीज, निवासी ग्राम इन्दरपुर, त0 किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के चालक लाइसेंस संख्या UK0620110049595 के विरुद्ध निरर्ह/प्रति संहृत हेतु संस्तुति प्रभारी, सी0पी0यू0, पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्यालय को लाइसेंस की मूल प्रति के साथ

के साथ प्राप्त हुई है। चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस कार्यालय के पत्रांक संख्या मैमों/लाइसेंस/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017, दिनांक 05.07.2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, चालक द्वारा निर्धारित अवधि में अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है, जो पत्रावली में सुरक्षित है। प्रभारी, सी0पी0यू0, पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं चालक के सुनवाई संबंधी पत्र के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट हैं कि चालक मोटरयान अधिनियम, 1988 के धारा 19 एवं सपठित नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत दोषी है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, लाइसेंसिंग ऑथोरिटी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, उक्त चालक लाइसेंस संख्या UK0620110049595 को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 19.07.2017 से 03 माह हेतु निरर्ह (Disqualify) करता हूँ।

नन्द किशोर,
लाइसेंसिंग ऑथोरिटी,
मोटरयान विभाग,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

30 जून, 2017 ई0

07 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 3915/टी0आर0/पंजी0नि0/HR74A–1850/2017–वाहन संख्या HR74A–1850 (DUMPER), मॉडल 2012, चेसिस संख्या MAT373056C1J13834 तथा इंजन नं0 697TC69JXY120478, कार्यालय में श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्री राजीव कुमार, निवासी मार्फत श्री मनोज, वार्ड नं0 18, दरियानगर, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 05.07.2017 को आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटना के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR74A–1850 (DUMPER) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAT373056C1J13834 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

05 जुलाई, 2017 ई0

11 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 3949/टी0आर0/पंजी0नि0/URN–9402/2017–वाहन संख्या URN–9402 (TRUCk), मॉडल 1984, चेसिस संख्या 344073779054 तथा इंजन नं0 692D017822324, कार्यालय में श्री नरेश कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी किच्छा रोड, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 18.05.2017 को आवेदन पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2017 तक जमा है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकारण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या URN–9402 (TRUCk) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344073779054 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

15 जुलाई, 2017 ई0

17 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 3983/टी0आर0/पंजी0नि0/UA06H–8549/2017–वाहन संख्या UA06H–8549 (PICKUP), मॉडल 2007, चेसिस संख्या T19000653H07 तथा इंजन नं0 D30000787, कार्यालय में श्री कनवर पाल सिंह पुत्र श्री बचन सहि, निवासी ग्राम फौजी मटकोटा, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 05.07.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2017 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA06H–8549 (PICKUP) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360044KUQ009235 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ। T19000653H07

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/377–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 जुलाई, 2017 ई0 (श्रावण 07, 1939 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार

सूचना

19 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 130/पंचास्थानि/त्रि0पं0उप निर्वाचन/उप प्रधान (सूचना)/2017–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना पत्र संख्या 277/रा0नि0आ0–2/2188/2017, दिनांक 18.07.2017 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए उप प्रधान पद के रिक्त पदों पर निर्वाचन/उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

2. अतः, मैं, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), हरिद्वार, एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के उप प्रधान, ग्राम पंचायत के उक्त प्रकार से रिक्त पदों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
26.07.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	26.07.2017 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	26.07.2017 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	26.07.2017 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक)	26.07.2017 (अपराह्न 13:30 बजे से अपराह्न 15:30 बजे तक)	26.07.2017 (अपराह्न 16:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

रिक्त पदों का विवरण, जहाँ निर्वाचन होने हैं

विकास खण्ड का नाम	रिक्त पद का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
बहादराबाद	उप प्रधान, ग्राम पंचायत	अहमदपुर ग्रन्ट

3. उप प्रधान के पद पर उप निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जाँच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह आवंटन, मतदान एवं मतगणना का कार्य तथा परिणाम की घोषणा संबंधी समस्त कार्य ग्राम पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 26.07.2017 को कराया जायेगा।

4. उक्त उप निर्वाचन का संबंधित खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित ग्राम पंचायत में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी, सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय एवं जिला मुख्यालय के सूचनापटों पर यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा एवं संबंधित ग्राम पंचायत में निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करते हुए सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

5. उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 194(2 के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश पंचायती राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथासंशोधित एवं यथाप्रवृत्त) के नियम 117(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के उप निर्वाचन के लिए दिनांक 26.07.2017 को ग्राम पंचायत में बैठक बुलाई जायेगी, जिसमें निर्वाचन अधिकारी अपने से संबंधित ग्राम पंचायत की समस्त कार्यवाही करेंगे। उक्त बैठक ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय भवन अथवा अन्य किसी सार्वजनिक स्थल (धार्मिक स्थल को छोड़कर) ही आहुत की जायेगी।

6. उप प्रधान, ग्राम पंचायत पद के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री दिनांक 24.07.2017 एवं 25.07.2017 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर तथा तद्पोरान्त दिनांक 26.07.2017 को पूर्वान्ह 08:00 बजे से पूर्वान्ह 09:30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायत में निर्दिष्ट स्थान पर की जायेगी।

दीपक रावत,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/377–भाग 3–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 29 जुलाई, 2017 ई0 (श्रावण 07, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, चम्बा, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

12 जून, 2017 ई0

पत्रांक 147/न0पा0प0/यू0चा0/उपविधि/2017–18–नगरपालिका परिषद्, चम्बा, टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, उपधारा 2, खण्ड (झ) (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 200 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2016 बनायी गयी है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। एम माह के अन्दर सुझाव एवं आपत्तियाँ औचित्य सहित माँगे गये तथा निर्धारित अवधि के अन्दर जो आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, उन पर विचारोपरान्त आवश्यक सुझावों को उपविधि में अतिरिक्त रूप से सम्मिलित कर पालिका के बोर्ड बैठक दिनांक 20.04.2017 में पारित प्रस्ताव संख्या 07 में अन्तिम रूप देकर स्वीकार किया गया है। यह संशोधित उपनियमावली/उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पॉलिथीन/प्लास्टिक उपविधि–2016

1. संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ :

यह उपविधि, नगरपालिका परिषद्, चम्बा, जनपद टिहरी गढ़वाल की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2016" कहलायेगी।

15. यह उपविधि, नगरपालिका परिषद्, चम्बा, जनपद टिहरी गढ़वाल के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।

16. यह उपविधि, सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ :

27. "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

28. "उपविधि" से तात्पर्य नगरपालिका, अधिनियम 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।

29. "नगरपालिका परिषद्" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगरपालिका परिषद् से है।

30. "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगरपालिका, अधिनियम 1916 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयत अधिशासी अधिकारी से है।

31. "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य नगरपालिका, चम्बा में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद पर कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

32. "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया है।

33. "नियम" से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 64, नई दिल्ली, मंगलवार, 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

34. "अधिनियम" से तात्पर्य (उत्तर प्रदेश)/उत्तराखण्ड, नगरपालिका अधिनियम से है।

35. "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट" (Biodegradable waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से, जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों–पौधों के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

36. "जीव अनाशित अपशिष्ट" (Non-biodegradable waste) का तात्पर्य, ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी हैं। 40 माईक्रॉन तक प्रतिबन्धित वर्जित की जाती है।

37. "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट" (Recyclable waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथिन (निर्धारित माईक्रॉन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि।

38. "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट" (Biomedical waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

39. "संग्रहण" (Collection) से तात्पर्य, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

40. "कचरा खाद्द बनाने" (Composting) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

41. "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (Dimolition and Construction waste) से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री, रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

42. "व्ययन" (Disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

43. 'भूमिकरण" (Landfilling) से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कुत्तक, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान अभिप्रेत है।

44. "निक्षालितक" (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है। जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धूलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।

45. ''नगरपालिका प्राधिकारी'' (Municipal Authority) में म्युनिसिपल कार्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद् जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्ध और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

46. ''स्थानीय प्राधिकारी'' (Local Authority)' का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्/नगरपंचायत/क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है।

47. ''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' (Municipal Solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

48. ''सुविधा के परिचालक'' (Operator of a Facility)' से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। 'प्रसंस्करण' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

49. ''पुनःचक्रण'' (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथकीकरण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

50. ''पृथक्करण'' (Segration) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

51. ''भण्डारण'' (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

52. 'परिवहन (Transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है, ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

17. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़कों, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर, जो नगर पंचायत/नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

18. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

19. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट, सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत/नगरपालिका के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत/नगरपालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित, दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे।

20. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पंचायत/नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्ट को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।

21. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगर पंचायत/नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

22. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह (15) दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

23. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हस्तन) नियम, 1988 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

24. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति, नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

25. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।

26. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्टों को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है, तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पंचायत/नगरपालिका सुविधा के प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगर पंचायत/नगरपालिका सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

27. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 के पूर्णांक में की जायेगी :

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User Charges)

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) की प्रस्तावित राशि ₹ में	जो व्यक्ति सड़क तक आकर जैविक तथा अजैविक कूड़ा अलग–अलग दें	जो व्यक्ति सड़क तक आकर मिश्रित कूड़ा दें	जो व्यक्ति घर पर ही जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग दें	जो व्यक्ति घर पर ही मिश्रित कूड़ा दें
1	2	3	4	5	6	7
01	गरीबी रेखा से नीचे के घर	10	–	10	15	25
02	कम आय वाले घर	30	10	20	25	40
03	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	50	15	20	40	70
04	रेस्टोरेन्ट	200 प्रतिमाह	50	100	200	300
05	होटल/लॉजिंग/ गेस्ट हाऊस	20 बैड तक का ₹ 500 व 20 से अधिक ₹ 1,000	200	300	400	500
06	धर्मशाला	₹ 100 प्रतिमाह	–	30	40	100
07	बारात घर	₹ 500 प्रतिमाह	100	200	250	500
08.	बैकरी	₹ 300 प्रतिमाह	100	200	300	300
09.	कार्यालय	₹ 100 प्रतिमाह	30	50	500	150
10.	कम आय वाले घर	₹ 20	20	30	40	50
11.	सब्जी एवं फल विक्रेता	₹ 10 प्रतिदिन व ₹ 20 प्रतिदिन	5	10	10	30
12.	रेस्टोरेन्ट	₹ 500 प्रतिमाह	100	150	200	500
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ, आवासी	₹ 500 प्रतिमाह	100	150	200	500
14.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ, अनावासी	₹ 300 प्रतिमाह	50	100	250	500

1	2	3	4	5	6	7
15.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम, वॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर	₹ 300 प्रतिमाह	50	100	200	300
16.	क्लीनिक मेडिकल	₹ 200 प्रतिमाह	50	100	150	200
17.	दुकान	₹ 100 प्रतिमाह	30	50	100	150
18.	फैक्ट्री	₹ 200 प्रतिमाह	50	100	160	250
19.	वर्कशॉप/कबाड़ी	₹ 500 प्रतिमाह	200	250	300	1000
20.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	₹ 150 प्रतिमाह	150	200	250	200
21.	ढुलान तथा निर्माण संबंधी अपशिष्ट	50 घन मी0	–	50	50	100

नोटः–

4. कूड़ा न देने पर प्रतिमाह प्रस्तावित शुल्क का 20 गुना।
5. User charges ना देने पर शुल्क का 10 गुना अर्थ दण्ड।
6. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/प्रशासक को यह अधिकार होगा कि निर्धारित सेवा शुल्क को विवेकानुसार 25% से 50% कम अथवा अधिक सेवा शुल्क निहित कर सकते हैं।

जैविक (Biodegrable) अपशिष्ट	पुनःचक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट
हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ अपशिष्ट	कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन सेल, फ्लैसाईट/कार बैटरी
घरेलू झाड़ू से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लॉच, घरेलू रसोई तथा नाला सफाई का सामान
सेनेटरी टावल	हर प्रकार के डिब्बे परिसंकटमय को छोड़कर	ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चों के डायपर	हर प्रकार के काँच/धातु/रबड़, लकड़ी	रसायन तथा उसके खाली डिब्बे सौन्दर्य तथा उनके खाली डिब्बे
	फाईल, पुड़िया, ट्रेटॉ पैक, कैसेट, कम्प्यूटर, डिस्केट, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, खराब कपड़े, फर्नीचर आदि	इन्जेक्शन, सुई तथा सिरिंज, खराब दवाईयाँ, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		लाईट बल्ब, ट्यूब लाईट तथा छोटे फ्लोसेन्ट बल्ब, थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट, तेल, गोंद, थिनर तथा उनके डिब्बे, फोटोग्राफी के रसायन

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 500.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तरण किया जाय, तो अग्रत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगरपालिका परिषद्, चम्बा, जिला टिहरी गढ़वाल में अन्तिम रूप में निहित होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, चम्बा,
टिहरी गढ़वाल।

ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, चम्बा,
टिहरी गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 हिन्दी गजट/377–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।